

RAJASTHAN HIGH COURT

सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 4351/2026

Suresh Kumar Sahni S/o Late Uttam Chand Sahni, Aged About 70 Years, R/o Jai Jawan Scheme-Iii, J.l.n. Marg, Jaipur, Rajasthan.

-----Petitioner

Versus

1.

Jaipur Development Authority, Through Commissioner, J.l.n. Marg, Jaipur-302004, Rajasthan.
2.

M/s. Tushar Sogani Designs Pvt. Ltd., F-72, 105, Suryoday Complex (Bagadiya Bhawan), Subhash Marg, C-Scheme, Jaipur-302001, (Rajasthan) Through Shri Tushar Sogani (Empaneled Architect).
3.

Jaipur Motels And Buildestates Pvt. Ltd., 778, Siddharth Nagar, Sawai Gator, Jaipur-302017, Rajasthan Through Shri Aditya Parashar, Authorized Signatory.
4.

Rajasthan Estate Regulatory Authority, Through Chairman, C-Scheme, Jaipur.

-----Respondents

For Petitioner(s)

:

Mr. Ram Mohan Sharma

For Respondent(s)

:

Mr. Puneet Pareek for
Mr. Ashok Kumar Gupta (Resp. No.2)
Mr. Aditya Sharma (Resp. No.3)
Ms. Mihir Katta (Resp. No.4)

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

07/05/2026

अयाची संख्या-2 की ओर से योग्य अधिवक्ता पुनीत पारीक उपस्थित हैं, जिनका नाम दैनिक वाद सूची में दर्शित किया जावे।

योग्य अधिवक्ता याची की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वे इस स्तर पर इस रिट याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ प्रत्याहृत करने की अनुमति चाहते हैं

कि वे प्रकरण की परिस्थितियां परिवर्तित होने पर पुनः नये सिरे से यह रिट याचिका प्रस्तुत कर सकेंगे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अभिलेख पर रखा जावे।

अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं कारणों को देखते हुए याची की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह रिट याचिका योग्य अधिवक्ता याची द्वारा प्रत्याहृत किए जाने के आधार पर निरस्त की जाती है, प्रकरण की परिस्थितियां परिवर्तित होने पर वे पुनः नये सिरे से यह रिट याचिका प्रस्तुत कर सकेंगे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J